BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ–226025

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

(A Central University)
Vidya Vihar, Rae Bareli Road, Lucknow-226025

पत्रांक : 989/BBAU/18 दिनांक: 03/8/18

परिपत्र

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति विषयक

उ॰प्र॰ शासन द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आनलाइन आवेदन प्रक्रिया वर्ष 2018-19 प्रारंभ की जा चुकी है, संबंधित जरूरी नियम व शर्ते एवं आनलाइन फार्म दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की वेबसाइट **http://www.scholarship.up.nic.in** पर उपलब्ध है। इस संबंध में सभी पात्र अनु॰जाति / अनु॰ज॰जाति / सामान्य/ अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं से अनुरोध है कि वे दी गई उपरोक्त वेबसाइट पर छात्रवृत्ति हेतु दिये गये विशेष निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आनलाइन फार्म एवं भरे हुए फार्म का प्रिटंआउट लेकर उसके साथ निम्नलिखित अभिप्रमाणित प्रपत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम की फीस रसीद, हास्टल की फीस रसीद, शपथ पत्र एवं अन्य जरूरी दस्तावेज इत्यादि को संलग्न करके संबंधित विभागाध्यक्ष/समन्वयक द्वारा अभिप्रमाणित करवाकर छात्र स्वयं ही अपने फार्म को अनु॰जा॰ / अनु॰ज॰जा॰ प्रकोष्ठ (एससी/एसटी सेल) में सभी कार्य-दिवसों में अपराहन 03:00 बजे से 06:00 बजे के बीच में इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से **31.08.2018** के दौरान जमा करना सुनिश्चित करें। दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि **31.08.2018** है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर किसी भी फार्म पर प्रकोष्ठ द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(क) आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज/प्रपत्रः-

- तहसील द्वारा जारी किया हुआ जाति प्रमाण प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि साथ ही साथ आनलाइन सत्यापित प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि ।
- तहसील द्वारा जारी किये गये आय प्रमाण प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि साथ ही साथ आनलाइन सत्यापित प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि। (अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ के लिए आय की सीमा रू॰ 2.50 लाख वार्षिक एवं /सामान्य/अ॰पि॰वर्ग/अल्पसंख्यक के लिए आय की सीमा रू॰ 2. 00 लाख वार्षिक) ।
- हाईस्कूल से लेकर गतवर्ष तक उत्तीर्ण सभी अंकपत्र/प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।
- पाठ्यक्रम की फीस रसीद एवं हास्टल की फीस रसीद की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।
- विभागाध्यक्ष/समन्वयक द्वारा सत्यापित फोटो मोहर के साथ ।
- आवेदन पत्र के साथ दिये हुए संबंधित दस्तावेज/प्रपत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।
- छात्र के आधार कार्ड की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।
- छात्र द्वारा बैंक में खोले गये खाते की पासबुक जिस पर छात्र का नाम व खाता संख्या एवं **IFSC** कोड अंकित हो, की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।
- छात्रवृत्ति एंव शुल्क प्रतिपूर्ति के नवीनीकरण हेतु विगत कक्षा में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्राप्ति रसीद की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।

जारी.......2

(ख) दिशा निर्देशः-

- केवल वे ही छात्र/छात्रा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हों अर्थात स्थाई निवासी हों ।
- ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने लगें। उदाहरणार्थ - एम०ए०/एम०एस०सी०/एम०टेक०/ एल०एल०एम० करने के बाद किसी दूसरे विषय में एम०ए०/एम०एस०सी०/एम०टेक०/एल०एल०एम० करने लगें ।
- यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तद्आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित संलग्न करें ।
- सभी पात्र छात्र/छात्राओं से अनुरोध है कि वे अपना आनलाइन आवेदन फार्म सावधानी पूर्वक भरें। अपूर्ण आवेदन फार्म को निरस्त कर दिया जायेगा।
- वे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी नही हैं, वे अपने राज्य में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करेंगें। अन्य राज्य से संबंधित छात्र/छात्रायें अपने राज्य के दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की वेबसाइट का अवलोकन करते रहेगें तथा ससमय आवेदन करना सुनिश्चित करें ।
- प्राथमिकताओं के अनुरूप पात्र अभ्यर्थियों का खाता, केनरा बैंक, बी०बी०ए०यू० शाखा, लखनऊ में होना आवश्यक हैं ।
- दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों का बैंक खाता उनके आधार कार्ड से लिंक/सीडेड होना आवश्यक है अन्यथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त नही होगी ।
- अनु०जा०/अनु०ज०जा० के पात्र छात्रों को शपथ पत्र परिशिष्ट 'ख' के अनुरूप को सम्पूर्ण भरकर एवं हस्ताक्षरित (प्रथम पक्ष - यथा छात्र व गवाह एवं द्वितीय पक्ष - यथा विभागाध्यक्ष/पाठ्यक्रम समन्वयक व गवाह) प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।
- यदि एक ही आय प्रमाण पत्र छात्र/छात्रा के भाई अथवा बहन द्वारा किसी अन्य पाठयक्रम/संस्था में उपयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित छात्र को एक प्रार्थना पत्र अपने आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना होगा जिसमें कि छात्र/छात्रा के भाई/बहन का रजिस्ट्रेशन संख्या, पाठ्यक्रम का नाम एवं संस्था का नाम अंकित करना होगा साथ ही साथ भाई/बहन के आवेदन फार्म की प्रतिलिपि भी संलग्न करना होगा ।
- शपथ पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी http://www.scholarship.up.nic.inपर एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bbau.ac.in उपलब्ध हैं ।
- **छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने मे यदि कोई समस्या आ रही है तो छात्र / छात्राएं अनु. जाति / अनु. जनजाति प्रकोष्ठ (एससी / एसटी सेल) मे संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है ।**
- किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए छात्र/छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

कुलसचिव

संलग्नकः- जॉच सूची व परिशिष्ट "ख", "घ"/"च"

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

1. समस्त विभागों/पाठ्यक्रमों के विभागाध्यक्ष/समन्वयक।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, बा०भी०अ०वि०, लखनऊ।
3. अनुभाग अधिकारी, कुलपति, बा०भी०अ०वि०, लखनऊ।
4. कुलसचिव के निजी सचिव, बा०भी०अ०वि०, लखनऊ।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, बा०भी०अ०वि०, लखनऊ।
6. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल।

नोडल अधिकारी

(दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति)

(जांच सूची)

छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु भरे जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अनुलग्नकों का विवरण

निर्देश - छात्र / छात्राएं कृपया बाक्स में √ या × करे।

1. आनलाइन आवेदन फार्म का सुस्पष्ट प्रिन्ट आउट व संस्थान स्तर (विभागाध्यक्ष / समन्वयक) से प्रमाणित किया जाय। ☐
2. आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित) । ☐
3. आय प्रमाण पत्र आनलाइन सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि । ☐
4. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित) । ☐
5. जाति प्रमाण पत्र आनलाइन सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि ☐
6. हाईस्कूल से लेकर गत वर्ष तक उत्तीर्ण पिछले शैक्षिक योग्यताद्ध सभी अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि । ☐
7. पाठ्यक्रम की फीस रसीद की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि । ☐
8. यदि छात्र हॉस्टल में आवासित है तो हॉस्टल द्वारा प्रदान की गयी शुल्क की रसीद की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि । ☐
9. आवेदन पत्र के साथ दिये हुये संबंधित दस्तावेज/प्रपत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि। ☐
10. यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तद्आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित। ☐
11. अनु॰जा/अनु॰ज॰जा॰/सामान्य/अ॰पि॰वर्ग/अल्पसंख्यक के छात्रों द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र की उनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है और आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण पूर्णतया सत्य एवं सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि /गलती पाये जाने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा । ☐
12. छात्र द्वारा केनरा बैंक, बी॰बी॰ए॰यू॰, शाखा, लखनऊ में खोले गये खाते की पासबुक की प्रति । ☐
13. छात्र के माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा 10/- रू॰ के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र कि छात्र के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र के दर्शायी गयी आय समस्त श्रोतों से है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई श्रोत नहीं है। यदि किसी प्रकार की जांच में दर्शायी गयी आय गलत पायी जाती है, तो उसके लिए हस्ताक्षरकर्ता पूर्णतया जिम्मेदार होगा । ☐
14. अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ के पात्र छात्रों को शपथ पत्र परिशिष्ट 'ख' के अनुरूप को सम्पूर्ण भरकर एवं हस्ताक्षरित (प्रथम पक्ष - यथा छात्र व गवाह एवं द्वितीय पक्ष - यथा विभागाध्यक्ष/पाठ्यक्रम समन्वयक व गवाह) प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे । ☐
15. सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों को घोषणा पत्र (रू॰ 10/- के स्टाम्प पेपर पर) परिशिष्ट "घ"/ "च" समक्ष संस्थाध्यक्ष/जिला समाज कल्याण अधिकारी (जैसा की लागू हो) के अनुरूप को सम्पूर्ण भरकर एवं हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे । ☐
16. आधार कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि । ☐

छात्र/छात्रा का विवरणः

छात्र/छात्रा का नामः-

पाठ्यक्रम का नामः-

पंजीकरण संख्या :-

श्रेणीः-

विभाग का नामः-

मोबाइल न॰:-

छात्र का हस्ताक्षरः-

अग्रसारित

समन्वयक/विभागाध्यक्ष हस्ताक्षर एवं मोहर

छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु भरे जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अनुलग्नकों का विवरण

1. आनलाइन आवेदन फार्म का सुस्पष्ट प्रिन्ट आउट
2. आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर किये जाय व संस्थान स्तर से प्रमाणित किया जाय।
3. आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)।
4. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)।
5. पिछले शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
6. छात्र के आधार कार्ड की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
7. यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तद्आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित।
8. अनु॰जा/अनु॰ज॰जा॰/सामान्य/अ॰पि॰वर्ग/अल्पसंख्यक के छात्रों द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र की उनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है और आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण पूर्णतया सत्य एवं सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि /गलती पाये जाने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
9. यदि छात्र हॉस्टल में आवासित है तो हॉस्टल द्वारा प्रदान की गयी शुल्क की रसीद की प्रति।
10. छात्र द्वारा जनपद के संस्था के समीपस्थ राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खोले गये खाते की पासबुक की प्रति।
11. छात्र के माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा 10/- रू॰ के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र कि छात्र के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र कें दर्शायी गयी आय समस्त श्रोतों से है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई श्रोत नहीं है। यदि किसी प्रकार की जांच में दर्शायी गयी आय गलत पायी जाती है, तो उसके लिए हस्ताक्षरकर्ता पूर्णतया जिम्मेदार होगा।

छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबंध पत्र

(निर्धारित दर पर नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक .... को कु॰/श्रीमती/श्री.. आयु..................... वर्ष पुत्री / पत्नी / पुत्र श्री......................................जाति...................................निवासी ग्राम/मु॰.................................... डाकखाना..................................... तहसील................................ जिला................................ जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं

(2)...(संस्थाध्यक्ष) पता.. जनपद...............................(जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है के मध्य निष्पादित किया जाता है।

चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्ते आति उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना (तृतीय संशोधन नियमावली 2014) में उल्लिखित है। उक्त नियमावली के आलोक में दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तो को स्वीकार करते है :-

1- द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपनी शैक्षिक संस्थान में निःशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2014 के अनुपालन में देगा।

2- प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में निःशुल्क प्रवेश पाने पर निर्धरित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।

3- द्वितीय पक्ष उपयुक्र्त नियमावली के प्रविधानां के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु वॉछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा।

4- प्रथम पक्ष के बैंक खाते में नियमावली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 15 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर देगा।

5- प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।

6- प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।

7- उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2018 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष/संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

प्रथम पक्ष हस्ताक्षर......................................	द्वितीय पक्ष हस्ताक्षर..
नाम...	नाम व पदनाम..
पिता/पति का नाम............................	पिता/पति का नाम............................
पता...	पता...
साक्षी सं॰-1 हस्ताक्षर......................................	साक्षी सं॰-2 हस्ताक्षर..
नाम...	नाम व पदनाम..
पिता/पति का नाम............................	पिता/पति का नाम............................
पता...	पता...

सामान्य वर्ग के छात्र/छात्रा द्वारा देय घोषणा पत्र (रू. 10/- के स्टाम्प पेपर पर)

समक्ष

संस्थाध्यक्ष/जिला समाज कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)

मैं...पुत्र/पुत्री श्री.. जो ग्राम....................................... मुहल्ला.......................................जनपद.................................. का निवासी हूँ । शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ -

1. यह कि मै ग्राम..................................मुहल्ला.................................तहसील..............................जिला........................ उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ । (आय/सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
2. यह कि मै उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट सामान्य वर्ग का हूँ ।
3. यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे कम है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
4. यह कि सम्प्रति मैं..शैक्षिक संस्थान के .... पाठ्यक्रम में .... वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ । संस्था .... विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
5. यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय /बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूंगा ।
6. यह कि मैंने पिछली परीक्षा.................................. वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है।
7. यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है।
8. यह कि मेरा बचत खाता संख्या .... बैंक .... के ....शाखा में खुला हुआ है।
9. यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझे प्रवेश दिया गया है।

उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करे।

दिनांक : ....

शपथी के हस्ताक्षर...

नाम..

पिता/पति का नाम...

पता..

अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा द्वारा देय घोषणा पत्र (रू. 10/- के स्टाम्प पेपर पर)

समक्ष

संस्थाध्यक्षा/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)

मैं...पुत्र/पुत्री श्री... जो ग्राम... मुहल्ला.....................................जनपद.................................. का निवासी हूँ । शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ -

1. यह कि मै ग्राम..................................मुहल्ला..................................तहसील..............................जिला........................ उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ । (सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
2. यह कि मै उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग का हूँ ।
3. यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे कम है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
4. यह कि सम्प्रति मैं..शैक्षिक संस्थान के .... पाठ्यक्रम में .... वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ । संस्था.. विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
5. यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय /बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूँगा ।
6. यह कि मैंने पिछली परीक्षा.................................. वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है।
7. यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है।
8. यह कि मेरा बचत खाता संख्या .... बैक...के ....शाखा में खुला हुआ है।
9. उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। अनु. जाति / अनु. जनजाति से हूँ । ईश्वर हमारी मदद करे।

दिनांक : ....

शपथी के हस्ताक्षर..

नाम..

पिता/पति का नाम...................................

पता...

अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्रा द्वारा देय घोषणा पत्र (रू. 10/- के स्टाम्प पेपर पर)

समक्ष

संस्थाध्यक्ष/जिला अलपसंख्यक कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)

मैं..पुत्र/पुत्री श्री..
जो ग्राम....................................... मुहल्ला.....................................जनपद................................. का निवासी हूँ । शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ-

1. यह कि मै
ग्राम.................................मुहल्ला...............................तहसील.............................जिला....................... उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ । (सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
2. यह कि मै उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग का हूँ ।
(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है)
3. यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे कम है।
(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
4. यह कि सम्प्रति मैं...शैक्षिक संस्थान के
.... पाठ्यक्रम में .... वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ । संस्था.. विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
5. यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय /बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूँगा ।
6. यह कि मैंने पिछली परीक्षा.................................. वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है।
7. यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है।
8. यह कि मेरा बचत खाता संख्या .... बैंक ....
.... के ....शाखा में खुला हुआ है।
9. यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझे प्रवेश दिया गया है। उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करे।

दिनांक : ....
शपथी के हस्ताक्षर...
नाम..
पिता/पति का नाम..
पता...

<u>माता-पिता/अभिवावक द्वारा शपथ पत्र (रू० 10/- के स्टाम्प पेपर पर)</u>

समक्ष

<u>संस्थाध्यक्ष / जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी / जिला अलपसंख्यक कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)</u>

मै .... पुत्र / पुत्री .... जो ग्राम .... मोहल्ला .... जनपद... का निवासी हूँ । शपथ पूर्वक निम्न बयान करता हूँ ।

1. यह कि मेरा पुत्र / पुत्री .... मे आपकी संस्था मे .... तथा .... मे अध्ययनरत है ।
2. यह कि शपथी के पुत्र / पुत्री ने छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है । आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय, जाति प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्र सही है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गए है । प्रपत्र संलग्न है ।
3. यह कि मेरा पुत्र / पुत्री द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र मे दर्शायी गयी आय रू० .... समस्त स्रोतो से है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है यदि किसी प्रकार की जाँच मे दर्शायी गयी आय गलत पायी जाति है तो उसके लिए हस्ताक्षरकर्ता पूर्णतया जिम्मेदार होगा ।
4. यह कि शपथी के पुत्र / पुत्री को किसी अन्य संस्था से छात्रवृत्ति नही प्राप्त होती है ।
5. यह कि शपथी ने कोई गलत बयान नही किया है ।

लखनऊ
दिनांक

शपथी

सत्यापन

मै शपथी उपरोक्त सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र मे वर्णित सभी तथ्य सही है कोई भी तथ्यपरक जानकारी छिपाई नहीं गयी है । आज दिनांक .... को अपने हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित किया ।

लखनऊ
दिनांक

शपथी

concerned, it is assured by the Principal Secretary that necessary payment shall be credited to the bank accounts of the beneficiaries through DBT process not later than a period of three weeks from today. Once the transfer is made, the interest of the college concerned for realization of the said amount, for the purpose of reimbursement to the University, shall stand duly protected.

The situation as it exists on date is that the forms of the students have been uploaded on the web portal but have not been received by the University due to non-payment of examination fee. Since the examination dates are approaching fast, as such, in exercise of discretionary power, for dealing with the matters at hand, it is provided that the petitioners 3 shall forward complete forms of every student through on-line process and the payment towards examination fee so made in relation to the Scheduled Caste category students may be realised by the Colleges from the concerned beneficiaries. The petitioner colleges shall, however, bear late fee of Rs. 100/- which is quantified for the current session. This exercise shall be concluded within the shortest period and in any case within a period of ten days from today.

This order having been passed in the peculiar facts and circumstances of the matters at hand, would not constitute a precedence for claiming any refund of the late fee deposited by the Colleges, if any, in excess of Rs. 100/. Sri Savitra Vardhan Singh, learned counsel for the University shall communicate this order to the University without any delay and the same shall be complied with by all concerned parties without insisting for a certified copy thereof, pending its availability.

With the aforesaid observations/directions, all the writ petitions are disposed of finally.

3– मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन के क्रम में निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक–05/स0क0/शिक्षा–अ/1/103/दश0समयसा0/2018–19, दिनांक–02.04.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (समूह–1,2,3 एवं 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा–11 व 12) योजनान्तर्गत मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय–सारिणी निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार द्वारा घोषणा की गयी है कि प्रत्येक जनपद में मा0 प्रभारी मंत्री/जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रतिवर्ष 02 अक्टूबर व 26 जनवरी को छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया जाय। मा0 उच्च न्यायालय ने उक्त याचिकान्तर्गत छात्रवृत्ति का वितरण दो किश्तों में दिये जाने के आदेश पारित किये हैं। मा0 उच्च न्यायालय तथा मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 के आदेशों के अनुपालन में निदेशालय के पत्र दिनांक 02–04–2018 द्वारा प्रस्तावित समय सारिणी को निरस्त करते हुये निम्नलिखित विवरण के अनुसार संशोधित समय सारिणी का प्रस्ताव निम्नवत है :–

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की प्रस्तावित समयावधि कक्षा 11–12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु
1	2	3
1.	प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर (अन्य प्रदेशों में) स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी/योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके	01 जून 2018 से 30 जुलाई 2018 तक

	डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	
2	सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य अफलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यकम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना एवं परीक्षा परिणाम लागिन में यथा स्थान अपलोड करना।	31 जुलाई 2018 से 30 अगस्त 2018 तक
3	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित संस्थानों हेतु) एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया जाना।	31 अगस्त 2018 से 30 सितम्बर 2018 तक
दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति –समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यकम एवं कक्षा 11–12 के छात्रों हेतु		
4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	01 जुलाई से 31 अगस्त 2018 तक
5	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक एवं आय तथा आधार नम्बर) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सैक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम 06 सितम्बर 2018 तक
7	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 जुलाई से 12 सितम्बर 2018 तक
8	छात्र द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना।	13 सितम्बर से 15 नवम्बर 2018 तक
9	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	18 सितम्बर 2018 तक
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से सत्यापन किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। (नवीनीकरण (Renewal) के छात्रों के लिये)	13 सितम्बर से 20 सितम्बर 2018 तक
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना (नवीनीकरण (Renewal) के छात्रों के लिये)।	24 सितम्बर 2018 तक
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना (नवीनीकरण (Renewal) के छात्रों के लिये)।	26 सितम्बर 2018 तक
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधारपर नवीनीकरण (Renewal) के छात्रों का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	28 सितम्बर 2018 तक
14	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के छात्रों को कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया	01 अक्टूबर 2018 तक

	जाना।	
15	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/कार्यक्रम आयोजित करना	02 अक्टूबर 2018 को
कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन (Fresh) एवं अवशेष नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु		
16	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से सत्यापन किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	13 सितम्बर से 20 अक्टूबर 2018 तक
17	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सही डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत एवं डिजिटल सिग्नेचर से सही डाटा लाक किया जाना।	30 अक्टूबर 2018 तक
18	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना।	21 अक्टूबर 2018 से 01 नवम्बर 2018 तक
19	ऑनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 04 नवम्बर 2018 तक
20	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	22 अक्टूबर 2018 से 07 नवम्बर 2018 तक
21	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	08 नवम्बर 2018 से 22 नवम्बर 2018 तक
22	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा से अलग शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना।	28 नवम्बर 2018 तक
23	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	15 दिसम्बर 2018 तक
24	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	20 दिसम्बर 2018 तक
25	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	31 दिसम्बर 2018 तक
26	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/कार्यक्रम आयोजित करना।	26 जनवरी 2019 को

5– अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों एवं उपरोक्त समय–सारिणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2018–19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।